तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम .... रामभरोसा वि गंगासहाय	नंबर अहकाम हुक्म में
	मुकदमा नं० 29/18 निर्णय दि० 26/11/19	
18.10.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस दि० 5.11.19 को पेश हो। अ	
5.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस दि० 6.11.19 को पेश हो। अ	
6.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई वास्ते निर्णय दि० 15.11.19 को पेश हो। अ	
	15/11 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. रा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनाँक 26/11/19 को पेश हो।	
26.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया प्रथम दृष्टया केस की सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता एवं इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.4.18 तात्फैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।	

अ 26.11.19
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner